अध्याय V : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

5.1 सेवा कर के गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थी, से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की भारत सरकार द्वारा 'कृषीय एवं संसाधित खद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985' (अधिनियम) के तहत 13 फरवरी 1986 को स्थापना की गई थी। एपीईडीए की अनुसूचित उत्पादनों (कुछ कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादनों को शामिल करके) के निर्यात के विकास तथा प्रोत्साहन हेतु गठित किया गया था। अपने उद्देश्यों के वृद्धि में एपीईडीए कुछ शुल्कों के बदलें में अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों को विभिन्न सेवाएं अर्थात् निर्यातकों का पंजीकरण, तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणन, व्यवसाय प्रदर्शनी सेवाएं, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

अक्तूबर 2014 में, सेवा कर प्राधिकारियों ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए उपरोल्लेखित सेवाओं के संबंध में सेवा कर देयता के रूप में एपीईडीए पर ₹12.02 करोड़ की मांग प्रस्तुत की। एपीईडीए ने, सेवा कर प्राधिकरण के मांग के प्रत्युत्तर में, सेवाओं के प्राप्तकर्त्ताओं/प्रदात्ताओं से इसका संग्रहण किए बिना, जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹3.17 करोड़ जमा कराया।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2015) कि वित्त अधिनियम, 1994, जैसा वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से संशोधन किया गया, के अनुसार, एपीईडीए निर्यातकों को प्रदान की गई उपरोल्लेखित सेवाओं पर तथा इसके द्वारा वकीलों

से विधिक तथा व्यवसायिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय पर भी सेवा कर का संग्रहण करने का उत्तरदायी था। तथापि, एपीईडीए ने अधिनियम के तहत कर योग्य सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं/प्रदाताओं से सेवाकर का संग्रहण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, इसको अपने स्वयं के साधनों से ₹3.17 करोड़ का सेवा कर जमा करना था। सेवा कर प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग को ₹8.85 करोड़ के बचे हुए शेष को वर्ष 2014-15 के लिए एपीईडीए की लेखापुस्तिकाओं में आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकृत किया गया था। एपीईडीए ने आगे अपने लेखाओं में 2014-15 तथा 2015-16 (28 जून 2015 तक) की अवधि के लिए ₹2.98 करोड़ की सेवा कर देयता हेतु प्रावधान किया है। बाद में, 2 जून 2015 को हुई एपीईडीए प्राधिकरण की 84वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एपीईडीए ने 29 जून 2015 से निर्यातकों से सेवा कर का संग्रहण करना प्रारम्भ किया है तथा 30 सितंबर 2015 तक सेवा कर प्राधिकारियों को ₹0.74 करोड़ जमा किया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2015) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹3.17 करोड़ की राशि सेवा कर प्राधिकारियों को अपने स्वयं के साधनों से अदा की गई है। एपीईडीए ने यह भी सूचित किया कि एपीईडीए द्वारा निर्यातकों को प्रदान की जा रही सेवा को सेवा कर से मुक्त कराए जाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय (एपीईडीए का प्रशासनिक मंत्रालय) ने वित्त (एमओएफ) को एपीईडीए द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों को वित्त अधिनियम 2012 द्वारा प्रारम्भ की गई नकारात्मक सूची में शामिल करने का अनुरोध किया (सितंबर 2014) था; फिर भी अब तक (सितंबर 2015) एमओएफ से कोई उत्तर नहीं मिला था।

तथ्य है कि एपीईडीए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं वित्त अधिनियम 1994, जिसका वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से किया गया, के तहत सेवा कर के अधीन थीं परंतु एपीईडीए ने 28 जून 2015 तक सेवा कर का संग्रहण नहीं किया था। इस प्रकार, एपीईडीए द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथाw वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थीं; से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़[1] के परिहार्य व्यय में हुआ। इसके

[1] लेखा खाते में ₹3.17 करोड़ सहित ₹2.98 करोड़ दिए गए।

अतिरिक्त ₹8.85 करोड़ के अतिरिक्त परिहार्य व्यय की संभावना है, जिसके लिए एपीईडीए द्वारा पहले ही अपने लेखाओं में आकस्मिक देयता स्वीकृत की गई है।